न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 166 / 2020 — अन्तर्गत धारा 88 **RT Act.**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
खानुखान पुत्र बगलखान जाति मुसलमान, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. कालियाखान पुत्र बगलखान 3. वीरी पत्नी जमालखान जाति मुसलमान, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शिव

उपस्थित :– 1. वादी अधिवक्ता – बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15.01.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 57.10 बीघा मौजा मुंगेरिया, तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता के फौत होने पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में खान मोहम्मद पुत्र बगलखान दर्ज हो गया है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचानपत्र, खाता बुक में उसका सही एवं वास्तविक नाम खानुखान पुत्र बगलखान दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खानमोहम्मद के स्थान पर खानुखान नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों की ताइद करते हुए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खान मोहम्मद पुत्र बगलखान के स्थान पर खानुखान पुत्र बगलखान किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2020 को अन्य खसरा नम्बर के संबंध में वादी के नाम दुरस्ती की अंतिम डिक्री व निर्णय की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम खानुखान होने के समर्थन में 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम खान मोहम्मद पुत्र बगलखान के स्थान पर वास्तविक नाम खानुखान पुत्र बगलखान होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड में

Scanned with OKEN Scanner

का नाम खानमोहमद पुत्र बंगला दर्ज है, जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी का नाम खानुखान पुत्र बगलखान दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व दिनांक 14.09.2020 के निर्णय की प्रति के अवलोकन से भी वादी का नाम खानमोहम्मद से खानुखान किया जाना साबित है। इस प्रकार वादी का नाम खान मोहमद के स्थान पर खानुखान होने की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का नाम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मुंगेरिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 130 रकबा 57.10 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम खान मोहमद पुत्र बंगला के स्थान पर खानु खान पुत्र बगल खान होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चितं करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner